



2026:AHC:170984

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27086 / 2026

बबबन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अराफ खान, लिहाजुर रहमान खान

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : निखिल कुमार यादव, वागीश यादव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री वागीश यादव ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने श्री निखिल कुमार यादव के साथ सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, किन्तु उनके नाम सूची में नहीं दर्शाये गए हैं।
2. आवेदक द्वारा दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अराफ खान, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री वागीश यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रजनीकांत राय को सुना।
4. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 258/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 190, 103(1), 3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - क्वारसी, जिला - अलीगढ़ में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की एफआईआर मृतक ने स्वयं इस आरोप के साथ दर्ज कराई थी कि आवेदक और उसके भाई ने मारपीट की

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसके कारण उसे चोटें आईं, किन्तु इसमें दर्शाया गया है कि दो दिन बाद मृतक की मृत्यु हो गई और उसके बाद मामले को धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के साथ-साथ उनके भाई रईस खान को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था और मृतक के सिर पर लाठी का मात्र एक ही वार होने सहित सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद, उन्हें इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26871/2026 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया था और आवेदक का मामला बिल्कुल उनके समान है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक को दो अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है, किन्तु दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं और एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक 20.03.2026 से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और साथ ही सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

10. हालांकि, आवेदक का नाम सह-अभियुक्त रईस खान के साथ एफआईआर में दर्ज है, किन्तु आवेदक का दूसरा भाई, सह-अभियुक्त कादिर, मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भी सह-अभियुक्त रईस खान को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके बराबर ही है।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदक को दो अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है, किन्तु दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं और एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 20.03.2026 से जेल/कारागार में है।
13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **बबन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 13, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।